रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-77 REGISTERED No. D-(D)-77

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1975/आषाढ़ 13, 1897
No. 130] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1975/ASADHA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th July 1975

SUBJECT:—*Import of dates (S. No. 21 (b)/IV) from Oman (Muscat) during July '74-June '75 licensing period-Extension in the validity period of licences.*

No. 62-ITC-(PN)/75.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 49-NTC(PN)/75, dated the 17th June, 1975. It has been decided to amend paragraph 3 of the said Public Notice to read as under:

"3. Licences issued in terms of Public Notice No. 156-ITC(PN)/74, dated 10th October, 1974 whose validity has been extended under this Public Notice will be subject to the condition that not less than 60 per cent of the face value of the licences is to be utilised for import of dates from Oman (Muscat) by Indian Sailing Vessels only and the balance 40 per cent may be imported by other vessels. The import by Indian sailing vessels is obligatory".

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

विषय :—लाइसेन्स अवधि जुलाई 74—जून 75 के दौरान अमन (मस्कत) से खजूरों [क्रम सं० 21 (बी)/4] का आयात-लाइसेन्सों की वैधता अवधि में वृद्धि ।

सं० 62-आई० टी० सी०(पी एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 49—आई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 17 जून, 1975 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 की संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ने का निश्चय किया गया है :—

"3 सार्वजनिक सूचना संख्या 156—आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 की शर्तों के अनुसार जारी किए गए लाइसेन्स जिन की वैधता अवधि इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत बढ़ाई गई है वे इस शर्त के अधीन होंगे कि अमन (मस्कत) से खजूरों के आयात के लिए लाइसेन्सो के अंकित मूल्य के कम से कम 60% का उपयोग केवल भारतीय पालपोतो द्वारा किया जाना है और 40% का आयात अन्य पोतो द्वारा किया जा सकता है । भारतीय पालपोतो द्वारा आयात अनिवार्य है ।"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975